

तारीख हुकम	हुकम का कार्यकारी मय इतिवृत्त का जज	नाम व तारीख अदालत जो हुकम हुकम की तारीख में जारी हुए
२.५.७३	<p>पिकासीन अधिकारी गरीब, भ्रमण/अपराधों पर हैं। अता                      पचासवीं प्रांतियुक्तार ५५.६.६६ को पेश हो।</p>	<p>—</p>
२५.६.७६	<p>आज्ञा फकालती राजस्थान लोक कल्याण इतिवृत्त                      नमूना आदेश ३२.२०.७६ के अन्तर्गत में                      उक्त हुकम के अन्तर्गत में आता है।                      उक्त हुकम की प्रतिलिपि जमा, जति सीमा                      इ. ३२.२०.७६ के अन्तर्गत में आता है।                      फकालती का कल्याण इतिवृत्त जो ३२.२०.७६                      के अन्तर्गत में आता है।                      आता फकालती का कल्याण इतिवृत्त जो ३२.२०.७६                      के अन्तर्गत में आता है।</p> <p>लोक अदालत                      उपसभ्य अधिकारी मय                      पदेन महा. कनवर                      नगर (गजपुर)</p>	<p>५९ सीमा                      [Redacted]                      [Redacted]                      [Redacted]                      [Redacted]                      [Redacted]                      [Redacted]</p>
०१-७-७६	<p>पचासवीं प्रांतियुक्तार हुकम / अथ पक्ष के इतिवृत्त                      उपस्थित। अथ पक्ष/कापी के इतिवृत्त के                      प्रांतियुक्तार द्वारा ११.७.७६ का अन्तर्गत                      प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे ही अदालत मुक्त                      का निर्देश किया। अथ पक्ष के विरुद्ध                      इतिवृत्त की प्रांतियुक्तार द्वारा ११.७.७६                      अदालत मुक्त। प्रांतियुक्तार के विरुद्ध                      इतिवृत्त के अन्तर्गत में अथ पक्ष के                      कि पचासवीं प्रांतियुक्तार के अन्तर्गत में                      उक्त हुकम के १९५/७७ अन्तर्गत द्वारा ४४-४९,                      ५३, १४४ R.A. उक्तानी अन्तर्गत ५९ सीमा/कापी                      — लगाया</p>	<p>११/७/७६                      [Redacted]                      [Redacted]</p>

न्यायालय पर खर्चा पर हलफना नगर में नाला जो  
दिनांक 4-10-2000 को निर्धारित हो चुका है, जिसको नाला  
अधिकांश इस दिहाई इन्जीनीयर्स न्यायालय में मुर्तेली  
नये दो हैं, जिसकी नकल पत्रानाली में अंतर्गत की है।  
अन्य दस्ता धारा 11CPL के तहत रही स्टेज पर  
स्वयंसेवा करवाया जाने।

अधिकांश नाली के निर्माण अधिकांशक ने  
कई दिनांक कि पूर्व नगर ले 195/99 में न्यायालय  
द्वारा इस तहसीली कागजी विदु पद खानेज निमा  
बनाया था जिसका फलनल निर्दिष्ट नही किन्तु नगर  
धर इतलिये इस दस्ता धारा 11CPL के अन्तर्गत नाला  
नही होने है। अन्य शर्तों/प्रतिशत का अर्थना - नगर  
स्वयंसेवा करवाया जाने।

हमने 27/9/99 को अधिकांशक को  
बटल पर नगर किन्तु नगर पत्रानाली का ध्यान  
पूर्वक अवलोकन किन्तु। वि. 377 बाबत पूर्व में  
दोनों पक्षों में 1984 दस्ता नालना तथा दिनांक  
4-10-2000 को स्वयंसेवा होना दोनों पक्षों ने स्वीकार  
किन्तु ही नकल आदेश दि. 4-10-2000 मुं. ले 195/99  
अन्तर्गत लज्जतु बनाया सीमा बगैरे के अवलोकन ले  
पर साक्षित होता है कि पूर्व नगर ले 195/99 न्यायालय  
द्वारा इस पूर्व नगर में तहसीलीलधर ले 05 हलफा जो  
अन्तर्गत पक्षना है जो पक्षतर मुलदमा नही बनाये  
जाने के कारण दस्ता प्रोपरीय (Movable) नही  
होने के कारण स्वयंसेवा किन्तु नगर, तथा उक्त  
निर्णय को नही मुर्तेली नही दिखे जाने के कारण  
अन्य नगर बहाल है। उक्त निर्णय के 14 वर्ष बाद  
वर्षानी इतल पर हलफना नाला धारा 88-89 दस्ता  
के अन्तर्गत प्रवि. सीमा के विरुद्ध किन्तु है, वैसे  
भी वर्षों प्रति सीमा के मुल-मुची व पत्नी है।  
जिनमें एक प्रतिशत नाला मुलु के बाद भी मुलुसेवा नही  
कर प्रना हलफना प्रकार है धारा 11CPL के  
अन्तर्गत लागू होते है। जिससे दस्ता चलने योग्य  
नही है अन्य आदेश है कि नाला बाधिका  
स्वयंसेवा किन्तु जाता है पत्रानाली कैलल मुमा  
होकर दालिल प्रदान है।

(सिद्धगंजाल पीना)  
लोक अदालत

महायाक कलक्टर एवं  
नायगावक मजि. (फास्ट ट्रैक)